छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
//मंत्रालय//
महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर
जिला रायपुर-492002
cg.school.edu.dept@gmail.com

कार्यालय कलेक्टर
धमतरी (छ.ग.)
31 AUG 2023
इस्तक्षा
कलेक्टर अधीक्षक

कमांक/85 /427/2023/20-दो नवा रायपुर, दिनांक 25/08/2023

प्रति,

01. समस्त संभीय आयुक्त,
छत्तीसगढ़,

02. समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषय :- शासकीय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डाइट) के भवनों एवं भूखण्ड का उपयोग अन्य कार्यो में नही करने के संबंध में।

—00—

राज्य शासन के ध्यान में यह बात लाई गई है कि, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) तथा बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाओं के भवनों का उपयोग अन्य कार्यों में प्रदेश के कुछ जिलों में स्कूल शिक्षा विभाग की अनुमति के बिना किया जा रहा हैं, जबकि ये भवन तथा भूखण्ड विभाग की शैक्षिक आवश्यकताओं के लिए निर्मित किए गए है तथा यह केन्द्र शासन के मापदण्ड/नार्म्स के अनुरूप है।

2/ यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 और इसकी कार्य योजना के परिपेक्ष्य में केन्द्र प्रवर्तित शिक्षक शिक्षा सुदृढ़िकरण के अंतर्गत पूर्व में संचालित शासकीय बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाओं (बी.टी.आई.) का उन्नयन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) के रूप में किया गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में इन संस्थाओं को उत्कृष्ट व जीवंत संस्थानों के रूप में विकसित करने की बात कही गई है, जिससे ये शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक डाइट के लिए न्यूनतम दस एकड़ एवं शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय हेतु न्यूनतम पांच एकड़ भूखण्ड आवश्यक है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत इन संस्थाओं के विस्तार में अतिरिक्त भूखण्डों की आवश्यकता होगी।

3/ विभिन्न डाइट एवं शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय से बीच-बीच में शिकायतें प्राप्त होती रही है कि, इनकी भूमि एवं भवन अन्य उद्देश्यों/कार्यो के लिए अधिग्रहित की जा रही है। जैसे पूर्व में डाइट दंतेवाड़ा, खैरागढ़ एवं बी.टी.आई. बिलासपुर की भूमि अन्य प्रयोजन से लिए जाने के प्रकरण सामने आए थे, वर्तमान में डाइट रायपुर की भूमि हाउसिंग बोर्ड को हस्तांतरित किए जाने की कार्यवाही की जा रही है एवं डाइट कांकेर के छात्रावास को अन्य कार्य हेतु अधिग्रहित किया जा रहा है।

...2

कार्यालय कलेक्टर, धमतरी
आवक क्र. 2321 दिनांक 05/09/23
शाखा ....
लड़कन ....

O/C

441

4/ अन्य कार्यो में उपयोग में लेने के कारण विभाग की गतिविधियों पर विपरीत असर पड़ता है साथ ही इन शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता भी खतरे में पड़ सकती है। अतएव शासन यह चाहता है कि उपर्युक्त शैक्षणिक संस्थाओं के भवनों एवं भूखण्डों का उपयोग अन्य कार्यो में न किया जाए।

(डॉ. एस. भारती दासन)
सचिव 22/08/23
छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ. पत्र कमांक 186 /427/2023/20–दों नवा रायपुर, दिनांक 25 /08/2023

प्रतिलिपि :–

01. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर,
02. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, शंकर नगर, रायपुर,
03. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर,
04. समस्त संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग कार्यालय, छत्तीसगढ़
05. समस्त प्राचार्य, शासकीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, छत्तीसगढ़,
06. समस्त प्राचार्य, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, छत्तीसगढ़,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग